झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड 1

		पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ...	1
2.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-5 का संशोधन ...	1
3.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-8 (i) का संशोधन ...	1
4.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-9 की उप धारा (i) की उप धारा-(ख) का संशोधन । ...	1
5.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-11 का संशोधन ...	1
6.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-12 का संशोधन ..	1
7.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 का संशोधन ...	1
8.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका 13 'क' ''उपस्कर की सुविधा'' जोड़ा जायेगा । ...	2
9.	झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका 13 'ख' ''समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा'' जोड़ा जायेगा । ...	2

झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

   (1) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

   (2) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-5 में क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द ''4000/-रु० (चार हजार)'' के स्थान पर ''8000/- रु० (आठ हजार)'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-8(i) में दैनिक भत्ता अंक एवं शब्द में ''350/-रु० (तीन सौ पचास)'' रु० के स्थान पर ''500/- (पाँच सौ) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (यथा संशोधित, 2002) की धारा-9 की उप धारा (i) की उप धारा (ख) में हवाई यात्रा के बाद शब्द ''जल पोत'' जोड़ा जायगा तथा शब्द ''विधान-सभा करेगी'' के बाद ''सदस्य हवाई यात्रा/जल पोत में एक सहयात्री ले जा सकेंगे'' जोड़े जायेंगे ।

5. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-11 में निजी सहायक का प्रवधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द में ''3500/- (तीन हजार पाँच सौ) रु०'' के स्थान पर ''5500/- (पाँच हजार पाँच सौ) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

6. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-12 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में ''2000/- (दो हजार) रु०'' के स्थान पर ''3000/- रु० (तीन हजार) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

7. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 की दूसरी पंक्ति को विलोपित करते हुए शब्द समूह ''प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम 75000/- (पचहत्तर हजार) रु०'' के समतुल्य देय होगा जो कि राँची, आवास, क्षेत्रीय कार्यालय और मोबाईल मद में भुगतेय होगा'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

8. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13'क' ''उपस्कर की सुविधा'' एवं 13'ख' समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा जोड़ा जायेगा । झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-03, 2001) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13''क'' जो निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-

''विधान मंडल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के बाद विधान सभा/केन्द्रीय पुल से आवास का सक्षम आबंटन होने एवं आवास अधिग्रहण करने के 15 दिनों के अन्दर उपस्कर साज सामग्री क्रय हेतु 25,000/- रु० (पच्चीस हजार रुपये) की राशि माननीय सदस्यों को दी जायेगी । इसके अतिरिक्त 3000/- रु० (तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष उपस्कर की मरम्मती एवं रख-रखाव हेतु भी दिये जायेंगे ।''

उप कंडिका 13'ख' निम्नरूप में जोड़ा जायेगा :

''विधान मंडल के सभी विधायकों को प्रतिमाह 500.00 (पाँच सौ) रुपये समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए देय होगा ।''

9. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (यथा संशोधित, 2002) की धारा-14 (i) में सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में ''1000/- (एक हजार)'' के स्थान पर ''4000/- (चार हजार)'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।